न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

ीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
ाजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 209/2021
CMS NO. : 2021/392

–: प्रार्थीगण:– बनाम –: अप्रार्थी :–

1. सम्पतराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी भूम्बलिया तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज०।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 15/12/2021

ुपस्थित:– 1. श्री शाकीर हुसैन, श्री अब्दुल कलाम, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 25/05/2022

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा भूम्बलिया पटवार हल्का भूम्बलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में खसरा संख्या 338 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा संख्या 339 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, खसरा संख्या 365 रकबा 8.1585 हैक्टेयर, व सरहद मौजा ओडावास पटवार हल्का भूम्बलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया की सीमा में खसरा संख्या 131 रकबा 5.7546 हैक्टेयर व खसरा संख्या 135 रकबा 3.8040 हैक्टेयर एवं सरहद मौजा रामपुरा पटवार हल्का भूम्बलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में खसरा संख्या 375 रकबा 13.1604 हैक्टेयर, खसरा संख्या 376 रकबा 1.0684 हैक्टेयर व सरहद मौजा भूम्बलिया पटवार हल्का भूम्बलिया तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1 रकबा 7.0900 बीघा, खसरा संख्या 3 रकबा 61.0400 बीघा, खसरा संख्या 6 रकबा 100.0800 बीघा, खसरा संख्या 7 रकबा 150.0400 बीघा, खसरा संख्या 8 रकबा 22.1700 बीघा, खसरा संख्या 9 रकबा 25.1900 बीघा की आयी हुई है। नकल चालू जमाबंदी साथ पेश है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थी का सही नाम सम्पतराम पुत्र मूलाराम है जो प्रार्थी के पैनकार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, टी.सी. व ग्राम ओडावास पटवार हल्का भूम्बलिया तथा ग्राम भूम्बलिया पटवार हल्का भूम्बलिया में स्थित अन्य कृषि भूमियो के राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थी का नाम सम्पतराम पुत्र मूलाराम दर्ज है इनकी फोटोप्रतियां प्रार्थनापत्र के साथ में पेश है। किन्तु जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी का नाम सम्पतराम पुत्र मूलाराम दर्ज नही कर रेवेन्यू एजेंसी द्वारा सहवन एवं मानवीय त्रुटीवश प्रार्थी का नाम सम्पतराज पुत्र मूलाराम दर्ज कर दिया जो एक मानवीय भूल एवं सद्भाविक त्रुटि है। जबकि प्रार्थी सही व दस्तावेजी नाम सम्पतराम पुत्र मूलाराम है। इसलिए प्रार्थी का नाम उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:30:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी जैतारण (पाली)

म्पतराज के स्थान पर सम्पतराम पुत्र मूलाराम किया जाना आवश्यक है। राजस्व कर्ड में मानवीय भूल व सद्भाविक त्रुटिवश प्रार्थी का नाम सम्पतराम इन्द्राज किया या जिसे न्यायहित तें दुरूस्त किया जाना आवश्यक है क्योकि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गलत नाम सम्पतराज रह जाने से कठिनाई होगी व कानूनी पेचीदगिया उत्पन्न हो जाएगी ऐसी स्थिति में यह कार्यवाही मानवीय त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए गए गलत नाम सम्पतराज को दुरूस्त कर सही एवं दस्तावेजी नाम सम्पतराम दर्ज करने के आदेश दिलावे। राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.10.2021 को प्रथम बार लेने पर प्रार्थी को जानकारी में आया कि मानवीय भूल व सद्भाविक त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में उसका नाम सम्पतराज दर्ज कर दिया, जो ऐसी रेकर्ड की दुरूस्ती लिपिकिय त्रुटी होने के कारण कानूनन किसी भी समय ध्यान में आने पर धारा 136 आर एल एक्ट के तहत श्रीमान को रेकर्ड दुरूस्ती का अधिकार है। प्रार्थी अपने नाम दुरूस्ती करने हेतू तहसीलदार जैतारण से दिनांक 10.10.2021 को निवेदन किया परन्तु वह इन्कार हो गये तथा बताया कि सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे इसलिए यह कार्यवाही श्रीमान से समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण का जवाब आवश्यक नही होने से जवाब बन्द किया जाता है। बहस सरकारी पैरोकार एवं वकील प्रार्थी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील जैतारण ग्राम भुम्बलिया में स्थित आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 338 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा संख्या 339 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, खसरा संख्या 365 रकबा 8.1585 हैक्टेयर, व सरहद मौजा ओडावास पटवार हल्का भूम्बलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया की सीमा में खसरा संख्या 131 रकबा 5.7546 हैक्टेयर व खसरा संख्या 135 रकबा 3.8040 हैक्टेयर एवं सरहद मौजा रामपुरा पटवार हल्का भूम्बलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में खसरा संख्या 375 रकबा 13.1604 हैक्टेयर, खसरा संख्या 376 रकबा 1.0684 हैक्टेयर व सरहद मौजा भूम्बलिया पटवार हल्का भूम्बलिया तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1 रकबा 7.0900 बीघा, खसरा संख्या 3 रकबा 61.0400 बीघा, खसरा संख्या 6 रकबा 1.0.0800 बीघा, खसरा संख्या 7 रकबा 150.0400 बीघा, खसरा संख्या 8 रकबा 2[illegible]700 बीघा, खसरा संख्या 9 रकबा 25.1900 बीघा जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का सही नाम सम्पतराम पुत्र मुलाराम है जो कि प्रार्थी के पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

राशन कार्ड, टी.सी. एवं ग्राम ओडावास व ग्राम भुम्बलिया में स्थित अन्य खातेदारी भूमि में भी दर्ज है। चौसाला जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी का नाम सम्पतराम पुत्र मुलाराम के स्थान पर सम्पतराज पुत्र मुलाराम दर्ज कर दिया जो एक मानवीय भूल एवं सद्भाविक त्रुटि है। अतः वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का सही नाम सम्पतराम पुत्र मुलाराम है।

2. अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण का जवाब अपेक्षित नही होने से बंद किया गया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात ग्राम ओडावास तहसील जैतारण के खसरा संख्या 138 एवं ग्राम भुम्बलिया के खसरा संख्या 15 की जमाबंदी में सम्पतराम पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार साकिन भुम्बलिया खातेदार दर्ज है। जबकि ग्राम भुम्बलिया की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 338, 339, 365, 1, 3, 6, 7, 8, 9 एवं ग्राम ओडावास के खसरा संख्या 131, 135 व ग्राम रामपुरा के खसरा संख्या 375 व 376 में सम्पतराज पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार साकिन भुम्बलिया बतौर खातेदार दर्ज है। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धनेरिया की स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट में सम्पतराम पुत्र मुलाराम कुम्हार ग्राम भुम्बलिया लिखा है। इसी प्रकार विकास अधिकारी पंचायत समिति जैतारण द्वारा ग्राम भुम्बलिया का जारी परिवार राशन कार्ड संख्या 20000123651 0 में सम्पतराम पुत्र मुलाराम कुम्हारो का बास भुम्बलिया, प्रार्थी के पैन कार्ड, पासपोर्ट एवं आधार कार्ड में सम्पतराम कुमार पुत्र मुलाराम दर्ज है। अतः उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर यह स्पष्ट है कि सम्पतराम तथा सम्पतराज एक ही व्यक्ति है। जो कि ग्राम भुम्बलिया निवासी मुलाराम कुम्हार का पुत्र है। तथा दस्तावेज अनुसार प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सम्पतराम पुत्र मुलाराम है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भलीभांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार योग्य है। तथा वादग्रस्त आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि सम्पतराज को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम सम्पतराम दर्ज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा भूम्बलिया पटवार हल्का भूम्बलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में खसरा संख्या 338 रकबा 1.2646 हैक्टेयर, खसरा संख्या 339 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, खसरा संख्या ... रकबा 8.1585 हैक्टेयर, व सरहद मौजा ओडावास पटवार हल्का भूम्बलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया की सीमा में खसरा संख्या 131 रकबा 5.7546 हैक्टेयर व खसरा संख्या 135 रकबा 3.8040 हैक्टेयर एवं सरहद मौजा रामपुरा पटवार हल्का भूम्बलिया भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:12 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में खसरा संख्या 375 रक़बा 13.1604 हैक्टेयर, ख़सरा संख्या 376 रकबा 1.0684 हैक्टेयर व सरहद मौजा भूम्बलिया पटवार हल्का भूम्बलिया तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1 रकबा 7.0900 बीघा, खसरा संख्या 3 रकबा 61.0400 बीघा, खसरा संख्या 6 रकबा 100.0800 बीघा, खसरा संख्या 7 रकबा 150.0400 बीघा, खसरा संख्या 8 रकबा 22.1700 बीघा, खसरा संख्या 9 रकबा 25.1900 बीघा के भू अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि ***"सम्पतराज पुत्र मुलाराम"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"सम्पतराम पुत्र मुलाराम"*** दर्ज करते हुये भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राजात् करते हुये भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक **25/05/2022** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:12 IST
Reason: SelfAttested